



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 803/2020

1. संदीप श्रीवास्तव पिता प्रतापलाल श्रीवास्तव, 47 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 8, बाजार लाइन चुईखदान, पुलिस थाना तथा तहसील चुईखदान, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ जिला राजनंदगांव ,छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी-दावाकर्ता

बनाम

1. बलराम वर्मा पिता रामखिलावन वर्मा 50 वर्ष
2. श्रीमती. दमयंती वर्मा पति बलराम वर्मा 45 वर्ष
3. कू. सरिता वर्मा पिता बलराम वर्मा लगभग 22 वर्ष समस्त गाँव कोहका, सुपेला, पुलिस थाना सुपेला, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ के निवासी है।वर्तमान निवास : नार्गेद्र वर्मा रमन सरिता स्कूल, शांति विहार कॉलोनी, दगनिया, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़
4. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पता शिवनाथ कॉम्प्लेक्स, जी. ई. रोड, सुपेला भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ (दुर्घटनाग्रस्त वाहन),
5. द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय पहली मंजिल पर, जीवन बीमा भवन, वाणिज्यिक परिसर, पंडारी, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।(दावाकर्ता बीमाकर्ता)
6. राधेश्याम पिता सेवाराम निवासी मकान संख्या 23, टाटा लाइन, कोहका, भिलाई, जिला दुर्ग (सी. जी.)। (मालिक (अब मृत),
- 6.1-ए. रोहित कुमार बघेल पिता स्वर्गीय राधेश्याम बघेल 26 वर्ष निवासी ग्राम कोहका टाटा लाइन ओ. पी स्मृति नगर, पुलिस सुपेला, तहसील तथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादीगण

अपीलार्थी हेतु :श्री अमित बक्सी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 4 हेतु :सुश्री एम. आशा, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 5 हेतु :सुश्री ज्योति अग्रवाल, श्री सुधीर अग्रवाल, अधिवक्ता



माननीय श्री पार्थ प्रतिम साहू, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

14/8/2025

1. अपीलार्थी-दावाकर्ता ने दावा प्रकरण क्रमांक 28/2016 में पारित दिनांक 10.1.2020 के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (संक्षेप में 'दावा अधिकरण') ने दावाकर्ता के दावा आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा कुल दावे 60,45,000/- रुपये के विरुद्ध 6,54,115/- रुपये का क्षतिपूर्ति प्रदान किया गया।
2. यह विवाद का विषय नहीं है कि अपीलकर्ता/दावाकर्ता को दिनांक 9.1.2012 को हुई सड़क यातायात दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं, जिसमें पंजीकरण संख्या सीजी07-एलएस-5262 वाली दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल शामिल थी, जो अनावेदक संख्या 1 की स्वामित्व वाली, अनावेदक संख्या 6 द्वारा संचालित और अनावेदक संख्या 4 द्वारा बीमाकृत थी, इसलिए यह न्यायालय मामले के तथ्यों पर ध्यान नहीं दे रहा है और केवल क्षतिपूर्ति की मात्रा पर संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर विचार कर रहा है।
3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस अपील में उठाए गए आधारों में से एक यह है कि विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने इस संबंध में विशिष्ट साक्ष्य के अभाव में यह नहीं माना है कि अपीलकर्ता-दावाकर्ता दुर्घटना की तिथि पर शिक्षाकर्म के रूप में काम कर रहा था और उसे अकुशल श्रमिक मानते हुए उसकी मासिक आय 4500 रुपये आंकी गई। अपीलकर्ता ने सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया है, जिसमें अपीलकर्ता की दिसंबर, 2011 माह की वेतन पर्ची संलग्न करते हुए उसे अभिलेख में दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दुर्घटना में लगी गंभीर चोटों के कारण, अपीलकर्ता 16 महीने तक काम नहीं कर सका, उसने चिकित्सा अवकाश लिया है और उपचार अवधि के दौरान आय की हानि के लिए क्षतिपूर्ति की गणना करते समय विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा इस पहलू पर उचित तरीके से विचार नहीं किया गया है।
4. दूसरी ओर, संबंधित उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के दौरान, दावाकर्ता को अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिला था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा और यहां तक कि आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत आवेदन में भी अपीलकर्ता यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि उसके द्वारा दावा न्यायाधिकरण में वेतन पर्ची क्यों नहीं दाखिल की गई। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित और दी गई क्षतिपूर्ति की राशि पर्याप्त है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
5. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और दावा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।



6. अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि दावेदार ने 9.1.2012 को हुई मोटर वाहन दुर्घटना के कारण हुई स्थायी विकलांगता के लिए 60,45,000/- रुपये के क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि दुर्घटना की तिथि पर वह शिक्षाकर्मि ग्रेड-II के पद पर कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी थे। हालाँकि, इसके समर्थन में अपीलकर्ता ने न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है और न ही इस संबंध में किसी व्यक्ति से परीक्षा की है। विद्वान दावा अधिकरण ने यह मानते हुए कि अपीलार्थी दावाकर्ता ने यह साबित करने के लिए कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि वह शिक्षाकर्मि ग्रेड-2 के रूप में काम कर रहा है, जिससे वह अपना व्यवसाय और आय साबित करने में विफल रहा, इसलिए उसे अकुशल श्रमिक मानते हुए काल्पनिक आधार पर उसकी आय का आकलन करने की कार्यवाही की। इन परिस्थितियों में, मेरा मानना है कि दावा अधिकरण ने अपीलार्थी की आय का काल्पनिक आकलन करने में कोई गलती नहीं की है।

7. हालाँकि, इस अपील के साथ, अपीलकर्ता ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलकर्ता की दिसंबर 2011 के महीने की वेतन पर्ची सहित संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने की प्रार्थना की गई। उक्त आवेदन प्रस्तुत करने का कारण यह है कि यद्यपि उक्त दस्तावेज दावा न्यायाधिकरण के समक्ष उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को सौंप दिए गए थे, परन्तु अधिवक्ता को ही ज्ञात कारणों से, उन्हें दावा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका और उक्त त्रुटि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विवादित निर्णय का अध्ययन करने के बाद संज्ञान में आई। यह भी उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता की मासिक आय के सही आकलन के लिए अपीलकर्ता की वेतन पर्ची आवश्यक है और यदि इसे अभिलेख पर नहीं लिया जाता है, तो इससे अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

8. इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि 1988 का अधिनियम दावेदारों को त्वरित और पर्याप्त अनुतोष प्रदान करने के लिए एक लाभकारी और कल्याणकारी विधि है, जो बिना किसी गलती के दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के शिकार हैं। सामान्यतः दावेदार अपने दावे को इस प्रकार आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते जिससे उनके अधिकार और तर्क खतरे में पड़ जाँ। यह सही है कि सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत दायर आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज, आवेदन में उल्लिखित कारणों से विद्वान दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे और अब उन्हें इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, छुईखदान द्वारा जारी किया गया अपीलकर्ता-दावेदार का नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण पत्र और वेतन पर्ची शामिल हैं।

9. 1988 के अधिनियम के तहत यह भी न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह संतुष्ट करे कि दावेदारों को दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति न्यायसंगत तथा निष्पक्ष है। इन परिस्थितियों और मामले के तथ्यों को देखते हुए, अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो दावा न्यायाधिकरण को उचित क्षतिपूर्ति देने में सक्षम बनाते हैं। राजो देवी एवं अन्य बनाम मनजीत कौर एवं अन्य के मामले में, जैसा कि



MANU/SC/0741/2025 में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है—

“17....यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दुर्घटना के मामलों में घायलों/आश्रितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान सामाजिक न्याय को बढ़ाने के लिए एक लाभकारी प्रावधान है।तदनुसार, प्रक्रिया की कठोरता को इसके उद्देश्य को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि ऐसे मामलों में सुनवाई संक्षिप्त प्रकृति की होती है...

10. अतः, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थी को उचित मुआवजा दिलाने के लिए, आदेश 41 नियम 27 सीपीसी की कठोरता को नजरअंदाज करते हुए, उसे एक अवसर प्रदान करना उचित होगा।

11. तदनुसार, आई.ए. क्रमांक 2/2020 को अनुमति दी जाती है और इस आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज, जो कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी, छुईखदान द्वारा जारी किए गए अपीलार्थी-दावेदार के नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर और वेतन पर्ची हैं, को अभिलेख पर लिया जाता है।

12. चूंकि इस न्यायालय ने सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 27 के तहत दायर आवेदन को अनुमति दे दी है, इसलिए इस मामले को केवल गणना तथा न्यायसंगत मुआवजा देने के उद्देश्य हेतु दावेदार की आय के मूल्यांकन के संबंध में दावा न्यायाधिकरण को वापस भेजने की आवश्यकता है।

13. तदनुसार, विवादित निर्णय को अपास्त किया जाता है और मामला दावा न्यायाधिकरण को वापस भेजा जाता है ताकि अपीलकर्ता-दावेदार द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेजों पर विचार करने के बाद और संबंधित पक्षों को तर्क में संशोधन करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के बाद विधि के अनुसार अपीलकर्ता की आय का नए सिरे से आकलन किया जा सके।

14. पक्षकारों को दिनांक 23.09.2025 को दावा न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।मामले का अभिलेख तत्काल वापस भेजा जाए।

सही/-
(पार्थ प्रतिम साहू)
न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

